न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 159-एक/08 विरूद्ध आदेश दिनांक 21-1-08 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण क्रमांक 314/अपील/07

लक्ष्मीदेवी पति गोरधन लाल (मृतक) द्वारा वारिसान-

1. महेन्द्र कुमार पिता गोवर्धनलाल
2. ओमप्रकाश पिता गोवर्धनलाल
3. प्रवीण पिता गोवर्धनलाल
4. राजकुमार पिता गोवर्धनलाल
5. नीलेश पिता गोवर्धनलाल
6. महेश पिता गोवर्धनलाल
7. उन्नति पुत्री गोवर्धनलाल

निवासीगण ग्राम आलोट

तहसील आलोट जिला रतलाम .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. भागवती देवी पुत्री सम्पतबाई
   पति गोविन्द प्रसाद (मृतक) द्वारा वारिसान-
   ओमप्रकाश निगम पिता गोविन्द प्रसाद निगम
   निवासी 85, सेठी नगर, उज्जैन
2. कलकलता पुत्री सम्पतबाई पति बाबूलाल
   निवासी मण्डी रोड, उज्जैन
3. हीरामणि पुत्री सम्पतबाई (मृत) द्वारा वारिसान-
   अ. श्याम बिहारी पिता भगवती प्रसाद
   निवासी 25/36 तबोली मोहल्ला
   बादम गुजर की गली झालावड़ (राज.)
   ब. आकाश पिता श्याम बिहारी निगम
   स. आशीष पिता श्याम बिहारी निगम
   निवासीगण डा. केशवराव बलीराम हेडगेवार
   बी.एड. कॉलेज, देवपुरा जिला कोटा (राज.)
   द. अभिषेक पिता श्याम बिहारी निगम
   निवासी 25/36 तबोली मोहल्ला

बादम गुजर की गली झालावाड़ (राज.)

4. कृष्णाबाई पुत्री सम्पतबाई पति देवनारायण
   निवासी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बामौर कला
   तहसील शिवपुरी
5. शीला देवी पति रतनलाल
6. लोकेश पिता रतनलाल
   निवासी गायत्री मन्दिर के पीछे,
   गंगाधर जिला झालावाड़
7. ऋतुबाला पिता रतनलाल पति राघवेन्द्र
   निवासी विक्रमगढ़
   तहसील आलोट जिला रतलाम
8. गोरधनलाल पिता भुवानीबक्ष
   निवासी नगर पंचायत के पीछे आलोट
   जिला रतलाम

.....अनावेदकगण

श्री वीरेन्द्र सिंह सिसौदिया, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/8/08 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित दिनांक 21-1-08 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम आलोट स्थित कुल किता 22 कुल रकबा 14.543 हेक्टेयर भूमि अनावेदक क्रमांक 8 गोरधनलाल, मृतक सम्पतबाई एवं रतनलाल के नाम संयुक्त खाते में दर्ज थी । सहखातेदार रतनलाल की मृत्यु होने पर उक्त भूमि अनावेदक क्रमांक 5 लगायत 7 के नाम दर्ज हुई । आवेदिका मृतक लक्ष्मी देवी द्वारा सम्पतबाई द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर मृतक सम्पतबाई के स्थान पर नामांतरण चाहा गया, जिस पर उक्त प्रकरण के अनावेदक क्रमांक 1, 2, 5, 6 व 7 द्वारा आपत्ति पेशी की गई । जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ति स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक 2/अ-6/97-98 में दिनांक 18-2-2000 को नामांतरण आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदिका मृतक लक्ष्मी देवी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, आलोट जिला

रतलाम के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/अपील/99-2000 में दिनांक 14-1-2002 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आवेदिका मृतक लक्ष्मी देवी द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 314/अपील/07 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदिका क्रमांक 3 हीरामणि की मृत्यु होने के उपरांत उसके वारिसान को अभिलेख पर लिये हेतु आवेदन पत्र 3 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दि. 21-1-08 को आदेश पारित कर प्रकरण उपशमन मान्य किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका क्रमांक 3 के निधन की जानकारी आवेदकगण को अनावेदिका क्रमांक 3 के अभिभाषक द्वारा अपर आयुक्त को अवगत कराये जाने पर ही प्राप्त हुई है और जानकारी के दिनांक से मृतक अनावेदिका क्रमांक 3 के वारिसान को अभिलेख पर लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त को उक्त आवेदन पत्र समयावधि में मान्य कर मृतक के वारिसान को अभिलेख पर लेने का आदेश पारित करना चाहिए था । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधि के प्रतिपादित न्याय सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि सहखातेदार सम्पतबाई द्वारा मृतक लक्ष्मी देवी के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया था, अतः वसीयतनामा के आधार पर मृतक सम्पतबाई के स्थान पर मृतक लक्ष्मी देवी का नामांतरण स्वीकार करना चाहिए था, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा वसीयत पर कोई विचार नहीं कर आदेश पारित किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण आदेश है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क एवं न्याय दृष्टान्तों पर कोई विचार नहीं किया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदक पक्ष की ओर से आवेदन पत्र में वर्णित आधारों पर विश्वास नहीं करने में अवैधानिकता की गई है । आवेदकगण द्वारा निगरानी मेमों में संशोधन किये जाने हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि हीरामणी की मृत्यु प्रकरण चलने के दौरान हुई तब उनके अधिवक्ता का कर्त्तव्य था कि उनकी मृत्यु की जानकारी न्यायालय को देते । अत: आवेदक पक्ष ने जैसे ही जानकारी मिली, जानकारी दिनांक से समय सीमा में वारिसों के लिये आवेदन दिया । अत: अपर आयुक्त को अपील अवेट न कर वारिसों को अभिलेख पर लेना चाहिये था । इस दृष्टि से अपर आयुक्त का आदेश त्रुटिपूर्ण है ।

6/ गुणदोष पर भी आवेदक पक्ष को सुना गया । भवानीबक्ष की मृत्यु पर दो बेटों तथा पत्नि को अपने अपने हिस्से की भूमि प्राप्त हुई । सम्पतबाई ने अपने हिस्से की वसीयत लक्ष्मीबाई के पक्ष में की थी । अत: उक्त भूमि का संपतबाई को वसीयत का अधिकार स्पष्ट है । वसीयत की विधिवत् तहसील न्यायालय में उसके दो गवाहों नोटरी अधिवक्ता ब्रजमोहन मेहता तथा गवाह अनिल कुमार त्रिवेदी द्वारा पुष्टि की गई है । तहसील न्यायालय ने मात्र रकबे के अन्तर रकबा 14.535 हेक्टेयर तथा अमल में रकबा 14.543 हेक्टेयर होने से तथा किता 24 के स्थान पर 22 लिखे होने से वसीयत विसंगितपूर्ण मानी है । वास्तव में वसीयतकर्ता ने वसीयत मूल पुस्तिका को आधार मानकर तैयार की थी । अत: वसीयत को प्रमाणित होने की स्थिति में वसीयत में अंकित रकबे 14.543 हेक्टेयर में वसीयतकर्ता के हिस्से की सीमा (1/3) तक वसीयत के आधार पर नामान्तरण करना था ।

7/ जहाँ तक बंटवारा प्रकरण लंबित होने का प्रश्न है, वह अपने हिस्से की वसीयत करने पर कोई रोक नहीं लगाता है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-01-2008, अनुविभागीय अधिकारी आलोट जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-1-2002 एवं तहसीलदार आलोट जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-2-2000 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है । तहसीलदार को निर्देश दिये जाते है कि आवेदक के नाम वसीयत के आधार पर सम्पतबाई के स्वामित्व की कृषि भूमि रकबे 14.543 हेक्टेयर में से 1/3 हिस्से पर नामान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर